न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ0 साधना शर्मा, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या –109 / 24 जीसीएमएसः– 2023 / 42

उनवानः–
तहसीलदार धौलपुर वहैसियत लैण्ड होल्डर

---- वादी

बनाम

1. गोकुल सिंह पुत्र सूखीराम जाति लोधा साकिन ग्राम सादिकपुर
2. नेपाल सिंह पुत्र सूखीराम जाति लोधा साकिन ग्राम सादिकपुर
3. भूरी सिंह पुत्र सूखीराम जाति लोधा साकिन ग्राम सादिकपुर
4. मुकेश कुमार पुत्र सूखीराम जाति लोधा साकिन ग्राम सादिकपुर
5. रामदीन पुत्र सूखीराम जाति लोधा साकिन देह खातेदार ग्राम सादिकपुर

---- प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177
आरटीए

दिनांक – 23.06.25

निर्णय

वादी तहसीलदार धौलपुर की ओर से वादपत्र इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 489 रकवा 0.4552 है0 किस्म बारानी प्रथम बाके ग्राम सादिकपुर तहसील धौलपुर में स्थित है तथा प्रतिवादीगण की खातेदारी की आराजी है। प्रतिवादीगण द्वारा बिना किसी प्रकार का संपरिवर्तन कराये अथवा कोई सक्षम अनुमति प्राप्त किये बिना विवादीत आराजी पर हॉट मिक्स प्लांट लगाकर गैर कृषि उपयोग कर लिया है। खातेदारी की भूमि पर प्रतिवादीगण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् भू–राजस्व नियम अथवा अन्य सुसंगत नियमों के तहत् भूमि संपरिवर्तन कराये बिना अकृषि प्रयोजन में उपयोग करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा बिना अनुमति के खातेदारी भूमि का गैर कृषि उपयोग करना कानूनी रूप से अवैध है इसका प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इस प्रतिवादीगण द्वारा विवादीत भूमि पर निहित अपने अधिकारों का हनन कर कृषि भूमि को हानि पहुंचाकर शर्त भंत की है। अतः वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को विवादित आराजी से बेदखल किया जावे तथा विवादित आराजी को सिवायचक घोषित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से बावजूद तामिल कोई उपस्थित नहीं हुआ अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

पैरोकार सरकार को एक पक्षीय रूप से सुना गया। पैरोकार सरकार ने बहस के दौरान वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकरण में विवादित आराजी को सिवायचक घोषित किये जाने का कथन किया।

पैरोकार सरकार को एक पक्षीय रूप से सुनने उपरान्त पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2076–79 के मुताबिक आराजी ख.नं. 489 रकवा 0.4552 है0 किस्म बारानी प्रथम बाके ग्राम सादिकपुर प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज है। तहसीलदार धौलपुर ने प्रतिवादीगण द्वारा विवादित आराजी पर हॉट मिक्स प्लांट स्थापित करना अंकित करते हुए वाद पत्र धारा 177 आरटीए के तहत प्रस्तुत किया है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का पटवार मण्डल सादिकपुर की रिपोर्ट दिनांक 01.10.2024 के मुताबिक विवादित आराजी के 0.0126 है0 भूमि पर बिना भूमि रूपान्तरण कराये हॉटमिक्स प्लांट का निर्माण किया जाना बताया है। प्रतिवादिगण की ओर से बावजूद तामिल कोई उपस्थित नहीं हुआ है। न ही उनकी ओर से कोई जवाबदेही की गयी है। इससे वादी के कथनों को बल मिलता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वादी तहसीलदार धौलपुर की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वाद पत्र वादी अन्तर्गत धारा 177 आर.टी. एक्ट डिक्री किया जाकर विवादित आराजी ख.नं. 489 रकवा 0.4552 है0 किस्म बारानी प्रथम बाके ग्राम सादिकपुर पर खातेदार गोकुल सिंह पुत्र सूखीराम जाति लोधा साकिन देह खातेदार, नेपाल सिंह पुत्र सूखीराम जाति लोधा साकिन देह खातेदार, भूरी सिंह पुत्र सूखीराम जाति लोधा साकिन देह खातेदार, मुकेश कुमार पुत्र सूखीराम जाति लोधा साकिन देह खातेदार, रामदीन पुत्र सूखीराम जाति लोधा साकिन देह खातेदार के खातेदारी अधिकार समाप्त कर आराजी को सिवायचक घोषित किया जाता है। तहसीलदार धौलपुर को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर भूमि से खातेदारान को बेदखल कर भूमि कब्जे राज लेकर रिपोर्ट न्यायालय को भिजवावें। निर्णय प्रति तहसीलदार धौलपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 23.06.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज.)